संख्या-   /2016/   /पांच-6-2016-23(बजट)/13

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6   लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषय:-नवसृजित जनपद अमेठी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय भवन निर्माण हेतु पुराने प्राथ0स्वा0केन्द्र, गौरीगंज, अमेठी के अनावासीय एवं आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9075/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 08.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद अमेठी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय भवन निर्माण हेतु पुराने प्राथ0स्वा0केन्द्र, गौरीगंज, अमेठी के संलग्न तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित विवरणानुसार अनावासीय एवं आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) विभाग द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 व लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली-1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त के साथ ही संलग्न तालिका के कालम-4 के अनुसार विवरणानुसार पुराने, निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त तालिका के कालम-5 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 06.68 लाख (रूपया छः लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने योग्य उक्त अनुमानित धनराशि को ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलबे के निस्तारण से प्राप्त वास्तविक धनराशि का अपने स्तर से समायोजन कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतएव उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 302/2016/2080 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अमेठी।
3. अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-5/ गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
9. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10. विभागीय वेब मास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-302/2016/2850 / पांच-6-2016-23(बजट)/13, तद्दिनांक 25 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रायोजना का नाम	प्रायोजना के निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवन (निर्माण वर्ष)	ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित भवनों के विवरण (रूपया लाख में)	बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि (रूपया लाख में)
1	2	3	4	5
1	नवसृजित जनपद अमेठी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय का भवन निर्माण	पुराने प्राथ0स्वा0केन्द्र, गौरीगंज, अमेठी का मुख्य भवन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आवास (01 नग), चिकित्सा अधिकारी आवास (01 नग), श्रेणी-2 आवास (02 नग) व श्रेणी-1 आवास (02 नग) (निर्माण वर्ष 1960)	पुस्तांकित मूल्य - 09.28 स्क्रैप मूल्य - 06.50 ध्वस्तीकरण की लागत - 03.90 मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि - 02.60	06.68

(रूपया छः लाख अड़सठ हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2719/2016/ /पांच-6-2016-67जी0पी0/16

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषयः- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सिविल अभियन्त्रण इकाई में कार्यरत 02 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-3495/14फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 07.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सिविल अभियन्त्रण इकाई में कार्यरत निम्नलिखित 02 अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करते हुए तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान से तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री अवधेश कुमार	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद (निजी अनुरोधानुसार)
2	श्री आर0एन0 सिंह यादव	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही (जनहित में)

2. शासन के अग्रिम आदेशों तक श्री आर0एन0 सिंह यादव द्वारा अपर निदेशक कार्यालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के रिक्त सहायक अभियन्ता पद के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अतएव उक्त अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त करते हुए उन्हें नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना/ अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 300/2016/2719 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद / भदोही।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद / भदोही को इस आशय से कि सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।
9. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
11. विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।